न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 85/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 हरचंदराम		1 मांगीलाल पुत्र जेपाराम जाति मेघवाल निवासी नया चेण्डा तहसील रोहट
2 लालाराम		2 रामाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी नया चेण्डा तहसील रोहट
3 सकाराम पि0 लुम्बाराम जाति कलबी निवासीगण नया चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली		3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री खंगारराम पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 99/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम माण्डावास तहसील रोहट के खसरा नम्बर 434 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 435 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 438 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कराने की मांग की। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संया 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 439 व 435 की माठ के सहारे सहारे रास्ता दिया जा सकता है, जो कम दूरी का है। यही तथ्य भू0अ0नि0 माण्डावास द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज़ करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये खसरा नम्बर 434 व 435 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिस रास्ते की मांग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई है, उसका क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर होता है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा जिस रास्ते का जिक्र किया गया है, उसका क्षैत्रफल 0.10 हैक्टेयर होता है, जो निकटतम मार्ग हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1द्वारा मात्र अपीलाण्ट को नक्शान कारित करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। कानूनन निकटतम एवं लघुतम मार्ग ही प्रदान किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सिद्धान्तों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम माण्डावास के खसरा नम्बर 438 रकबा 40.12 बीघा की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 434 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नमबर 435 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 439 व 435 की माठ के सहारे सहारे कम दूरी का रास्ता सुझाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू0अ0नि0 माण्डावास द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया कि आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 438 में आने जाने हेतु कच्चा रास्ता व उसके खातेदारी भूमि के न्यूनतम दूरी का रासता खसरा नम्बर 435 की पश्चिम दिशा की माठ के सहारे सहारे के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं होता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को भू0अ0नि0 द्वारा नजरी नक्शें में भी दर्शाया है। इसके अतिरिक्त नक्शा ट्रेस के अनुरूप भी देखा जाए तो भी अपीलाण्ट की आराजी किसी भी रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवागमन के मार्ग के रूप में सुलभ नहीं रहती है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 438 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवागमन हेतु मार्ग खसरा नम्बर 439 में से अथवा 439 की पूर्वी माठ एवं खसरा नम्बर 435 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दिया जा सकता था एवं यही मार्ग सुलभ एवं निकटतम होता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए वह रास्ता प्रदान किया गया, जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये चाहा था, ज़िसका कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। उक्त स्थिति विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की जांच/टिप्पणी नहीं की एवं न ही उसे रेखांकित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु सुलभ एवं निकटतम मार्ग सुझाया, जिसकी ताईद भू0अ0नि0 की रिपोर्ट से भी होती है तथा इस रिपोर्ट को न मानने का कोई आधार नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये ऐसा मार्ग स्वीकृत किया, जो न केवल कानूनी पेचिदगीयां बढाता है, अपितु मौके पर विवाद की स्थिति को पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है, जिसके कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 99/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/4/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली